न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/250/2018

उनवान

1. बालू पिता चम्पा गाडरी निवासी श्रीरामनगर, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. देवकिशन पिता चम्पा गाडरी निवासी श्रीरामनगर, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. भैरू पिता नारू गाडरी निवासी श्रीरामनगर, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. रामचन्द्र पिता नारू गाडरी निवासी श्रीरामनगर, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
3. सत्यनारायण पिता नारू गाडरी निवासी श्रीरामनगर, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
4. मोहनी बेवा नारू गाडरी निवासी श्रीरामनगर, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
5. लक्ष्मण पिता रामचन्द्र गाडरी निवासी श्रीरामनगर, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
6. बंशी पिता रामचन्द्र गाडरी निवासी श्रीरामनगर, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
7. रामेश्वर पिता रायमल गाडरी निवासी श्रीरामनगर, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
8. मिठु बेवा रायमल गाडरी निवासी श्रीरामनगर, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा एवं उप पंजीयक, सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 53/2018 निर्णय दिनांक 1.5.2018

अधिवक्तागण :–

1. श्री सुनिल बापना , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2 श्री महेश दाधीच, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 से 8
2.श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 8-5-2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का सजरा परिशिष्ठ ''अ'' के अनुसार है जो निम्न प्रकार है :–

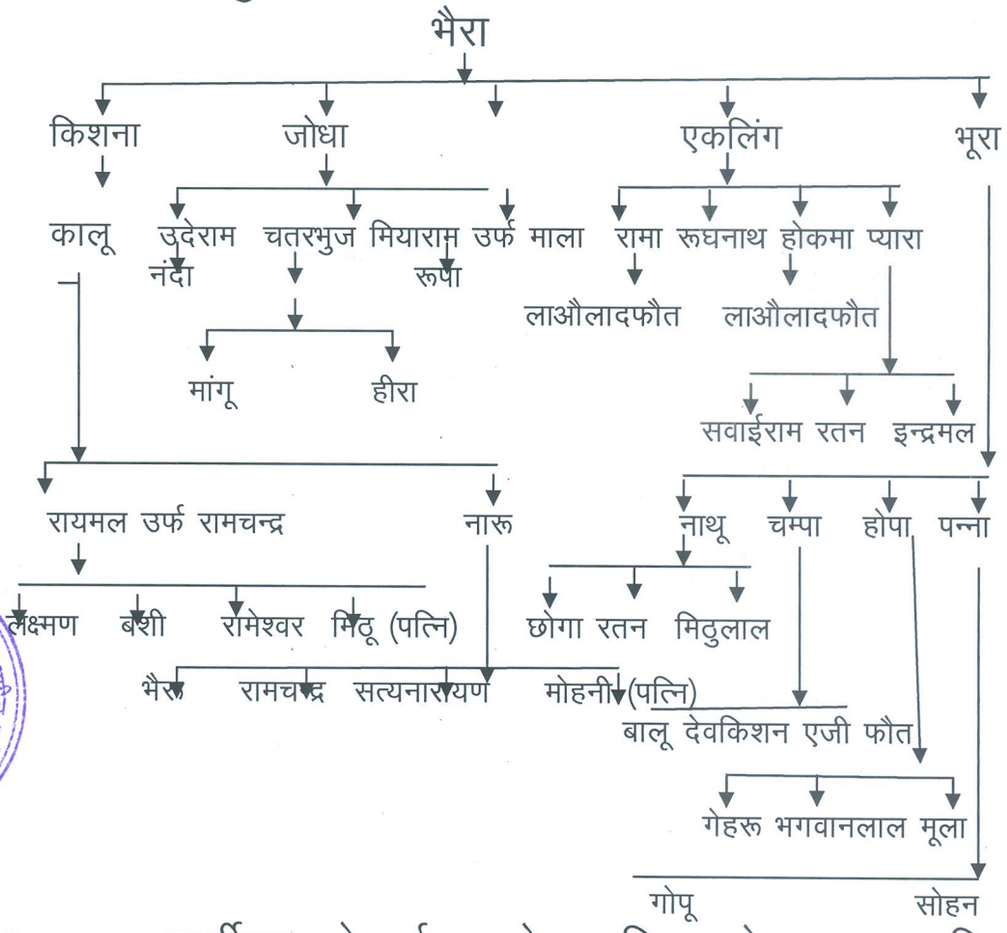

2. प्रार्थीगण के पूर्वज उदेराम पिता जोधा, हुकमा पिता एकलिंग व चम्पा पिता भुरा गाडरी को ग्राम लखमणियास

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

की बिलानाम आराजी संख्या 835 रकबा 21 बीघा 06 बिस्वा में से रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा भूमि आवंटन हुई। जिसके नम्बर 835/3 कायम हुए। आवंटन के बाद प्रार्थीगण के पूर्वजों को लखमणियास से लाखोला जाने वाली मुख्य सडक के पास साबिक आराजी संख्या 755 के पास जहॉ कब्जा सुपुर्द किया गया वहॉ वे काबिज हुए एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त प्रार्थीगण काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहें है। लेकिन साबिक नक्शे में साबिक आराजी संख्या 835/3 को तरमीम ही नहीं किया गया और साबिक आराजी नम्बर 835/3 के स्थान पर 835/2 अंकित कर दिया गया । साबिक आराजी नम्बर 835/2 रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा भूमि संवत 2010 से 2013 में प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज हुई एवं संवत 2028 से 2031 की जमाबंदी में खातेदारी अधिकार से दर्ज हुई तथा 15 बीघा 11 बिस्वा भूमि में से 5 बीघा 4 बिस्वा भूमि ऊंकार पिता उदेराम गाडरी के नाम एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त दोली बेवा उदेराम के नाम पर दर्ज हुई। दोली की मृत्यु के उपरान्त नन्दा पिता उदेराम के नाम पर दर्ज हुई । जिसके बटा नम्बर 835/3 क बने। जमाबबंदी संवत 2010 से 2013 , 2024 से 2027, 2028 से 2031, 2032 से 2035 व 2035 से 2038 एवं संवत 2054 संलग्न की गई है।

3. दौराने भू प्रबन्ध साबिक आराजी नम्बर 835/3 क व 835/ 3 ख के नये नम्बर क्रमशः 1555 लगायत 1559 , 1545 लगायत 1554 कायम किये गये जो कि ग्राम श्रीराम नगर में अंकित किये गये ।

4. विपक्षी संख्या 1 लगायत 8 के पूर्वज कालू पिता किशना को भी ग्राम लखमणियास की साबिक आराजी नम्बर 835 में से 5 बीघा 12 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजों को आवंटन के बाद आवंटित हुई। जिसका बटा नम्बर 835/1 अंकित हुआ । मौके पर जहॉ उन्हें कब्जा सुपुर्द किया गया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वहॉ वे काबिज हुए। वक्त आवंटन से ही प्रार्थीगण के पूर्वजों व विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 8 के पूर्वजों को जहॉ कब्जा सुपुर्द किया व पैमुद किया गया वहॉ वे काबिज हुए व अपने हक हिस्से की भूमियों पर थोहरों की बाड करवा दी लेकिन दौराने भू प्रबन्ध आराजी संख्या 835/1 व 835/3 ख के नये नम्बर कायम किये गये उनके हाल आराजी संख्या 1545 रकबा 0.30 हे, व 1546 रकबा 0.39 जिस पर विपक्षी संख्या 1 लगायत 8 काबिज है वे प्रार्थीगण के नाम पर अंकित कर दी एवं हाल आराजी नम्बर 1517 रकबा 0.32 जिस पर नन्दा पिता उदयराम गाडरी व सवाई राम पिता प्यारा गाडरी काबिज है तथा हाल आराजी नम्बर 1518 रकबा 0.21 हे0 है व 1519 रकबा 0.20 हे0 भूमि पर प्रार्थीगण काबिज है। जिन्होनें मौके पर बाडे बना रखे हैं व घास व रोडिया व कृषि उपकरण रख रखे हैं। उक्त आराजियात को विपक्षी संख्या 1 लगायत 8 के नाम पर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के दर्ज कर दिया । जिसके संबध में जमाबंदी संवत 2073 से 2076 प्रस्तुत की गई है।

5. विपक्षी संख्या 1 लगायत 8 दिनांक 29.3.2018 को प्रार्थीगण एवं नन्दा पिता उदयराम , सवाईराम पिता प्यारा गाडरी, रतन पिता प्यारा, इन्द्रमल पिता प्यारा गाडरी के स्वामित्व आधिपत्य एवं कब्जे की आराजी संख्या 1517, 1518 व 1519 में अनाधिकृत प्रविष्ट होकर थोहरों की बाड को काटने लगे व आराजियात पर कब्जा करने पर आमादा हुए । तब प्रार्थी रतन व बालू ने थाना गंगापुर पर लिखित रिपोर्ट पेश की । जिस पर बाद आवश्यक कार्यवाही थाना गंगापुर ने विपक्षीगण रामेश्वर, भैरू के विरूद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 107, 116 व 151 जाब्ता फौजदारी के तहत दिनांक 3.4.2018 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट गंगापुर के समक्ष प्रस्तुत किया जहॉ गैर सायलान रामेश्वर व भैरू को 20

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हजार रूपये की जमानत व मुचलके पर 1 माह के लिए पाबन्द किया गया । प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी से जानकारी कर साबिक नकले व नक्शा ट्रेश निकलवाया तब जानकारी में आया कि उनके व नन्दा पिता उदयराम गाडरी, सवाईराम पिता प्यारा गाडरी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि आराजी नम्बर 1517, 1518 व 1519 को विपक्षी संख्या 1 लगायत 8 के नाम पर दर्ज कर दी है व विपक्षी संख्या 1 लगायत 8 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि आराजी संख्या 1545 व 1546 को प्रार्थीगण के नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया गया । जिसकी दुरूस्ती, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

6. दिनांक 3.4.2018 को माननीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट गंगापुर ने प्रकरण संख्या 39/2018 के जरिये विपक्षी रामेश्वर व भैरू को 1 माह के लिए पाबंद किया लेकिन फिर भी विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 8 नाजायज संगठन बनाकर दिनांक 20.4.2018 को प्रातः 8 बजे पुनः प्रार्थीगण के स्वामित्व अधिकार की आराजी संख्या 1517 व 1518 एवं 1519 पर आये व आराजियात पर कब्जा करने का प्रयास किया लेकिन कामयाब नहीं हो सके तो धमकी देकर गये कि वे अतिशीघ्र मौका पाकर उक्त आराजियात में पडी रोडियों, घास व कृषि उपकरणों को जला देंगे और अतिशीघ्र उक्त आराजियात को विक्रय कर देंगे और भूमियॉ ऐसे ताकतवर व्यक्ति को विक्रय करेंगे जो लाठी के बल पर उक्त वर्णित आराजियात का कब्जा ले लेंगे। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी संख्या 1 लगायत 8 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि ग्राम श्रीरामनगर की आराजी संख्या 1517 रकबा 0.32 हे0, आराजी नम्बर 1518 रकबा 0.21 हे0, एवं आराजी नम्बर 1519 रकबा 0.20 हे0 पर से प्रार्थीगण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

का कब्जा नहीं हटावें एवं न ही उनके कब्जे में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करें तथा उक्त वर्णित आराजियात को विक्रय नहीं करें एवं प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं न ही किसी अन्य से करावे एवं वादग्रस्त आराजियात के संबंध में किसी भी प्रकार के दस्तावेजात का पंजीयन नहीं करावे।

7. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

8. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित इंटरिम स्थगन आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण का प्रथमदृष्टया मामला साबित होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अपीलाण्ट्स के पक्ष में जारी नहीं कर कानूनन भूल की है । प्रार्थीगण अपीलाण्ट्स अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

10. प्रार्थीगण के पूर्वज उदेराम पिता जोधा, हुकमा पिता एकलिंग व चम्पा पिता भुरा गाडरी को ग्राम लखमणियास की बिलानाम आराजी संख्या 835 रकबा 21 बीघा 06 बिस्वा में से रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा भूमि आवंटन हुई। जिसके नम्बर 835/3 कायम हुए। आवंटन के बाद प्रार्थीगण के पूर्वजों को लखमणियास से लाखोला जाने वाली मुख्य सडक के पास साबिक आराजी संख्या 755 के पास जहॉ कब्जा सुपुर्द किया गया वहॉ वे काबिज हुए एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त प्रार्थीगण काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

चले आ रहें है। लेकिन साबिक नक्शे में साबिक आराजी संख्या 835/3 को तरमीम ही नहीं किया गया और साबिक आराजी नम्बर 835/3 के स्थान पर 835/2 अंकित कर दिया गया ।

11. साबिक आराजी नम्बर 835/2 रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा भूमि संवत 2010 से 2013 में प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज हुई एवं संवत 2028 से 2031 की जमाबंदी में खातेदारी अधिकार से दर्ज हुई तथा 15 बीघा 11 बिस्वा भूमि में से 5 बीघा 4 बिस्वा भूमि ऊंकार पिता उदेराम गाडरी के नाम एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त दोली बेवा उदेराम के नाम पर दर्ज हुई। दोली की मृत्यु के उपरान्त नन्दा पिता उदेराम के नाम पर दर्ज हुई ।

12. दौराने भू प्रबन्ध साबिक आराजी नम्बर 835/3 क रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर आराजी नम्बर 1555 रकबा 0.14 हे0, आराजी नम्बर 1556 रकबा 0.25 हे0, आराजी नम्बर 1557 रकबा 0.11 हे0, आराजी नम्बर 1558 रकबा 0.28 हे0 एवं आराजी नम्बर 1559 रकबा 0.35 हे0 कायम किये गये एवं आराजी नम्बर 835/3 ख रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर 154 लगायत 1554 रकबा 1.83 हे0 कायम किये गये। उक्त आराजी में नन्दा पिता उदा का 1/4 हिस्सा, सवाईराम, रतन , इन्द्रमल पिता प्यारा का 1/4 हक हिस्सा व बालू व देवकिशन का 1/2 हक हिस्सा निहत था। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की अपील प्रस्तुत की जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया गया है।

13. वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थीगण का कब्जाकाश्त है । अपीलार्थीगण ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जहॉ

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पर वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थीगण का कब्जा माना गया है। इसलिए प्रत्यर्थीगण को आराजी नम्बर 1545 लगायत आराजी नम्बर 1554 पर बैठाया जावे।

14. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 1.6.2018 में केवल मात्र यह अंकित किया कि प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया मामला नहीं पाया जाता है इसलिए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं समझते है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथमदृष्टया मामले पर विस्तृत विवेचन नहीं किया गया है। प्रकरण में विपक्षी रेस्पोडेण्ट संख्या 9 तहसीलदार, सहाडा ने भी कोई जवाब पेश नही किया था । इस तथ्य को भी अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअंदाज कर प्रार्थीगण/अपीलाण्ट्स के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कर कानूनी भूल की है।

15. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ग्राम श्रीरामनगर की आराजी संख्या 1517, 1518 एवं 1519 पर आवंटन के समय से ही काबिज है एवं बाडे भी उक्त आराजियात पर बने हुए हैं। जिसकी पुष्टि थाना गंगापुर की रिपोर्ट से भी होती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड से प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण का प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। यदि अपीलार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो अपीलार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी । जिसका मूल्यांकन अर्थ में भी संभव नहीं हो सकेगा और पक्षकारान के मध्य कई तरह के विवाद पैदा हो जायेगे। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 1.5.2018 को निरस्त किया जावे एवं प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 8 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे ग्राम श्रीरामनगर तहसील

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

सहाडा की आराजी संख्या 1517 रकबा 0.32 हे0, आराजी नम्बर 1518 रकबा 0.21 हे0, एवं 1519 रकबा 0.20 हे0 पर से प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण का कब्जा नहीं हटावें, दखलन्दाजी नहीं करें, हस्तान्तरण नहीं करें तथा विपक्षी संख्या 9 उक्त वर्णित आराजियात के संबंध में किसी भी प्रकार के दस्तावेजात का पंजीयन नहीं करें मौके व रेकार्ड की यथास्थित बनाये रखे। अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपने तर्को की पुष्टि में आर आर डी 1994 पेज 107 की ओर ध्यान आकर्षित किया ।

16. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने साबिक आराजी नम्बर 835/3 का आवंटन होने का कथन किया है। जबकि हाल आराजी नम्बर 1517, 1518 एवं 1519 पर प्रत्यर्थीगण का कब्जाकाश्त है। अपीलार्थीगण वादग्रस्त आराजी नम्बर 1517, 1518 एवं 1519 के खातेदार बनना चाहते हैं परन्तु उनके द्वारा यह नही बताया गया है कि वे उक्त आराजी के स्थान पर कौनसा खसरा नम्बर छोंडेंगे।

17. कैम्प कोर्ट मुकाम ढोसर में लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 के तहत दिनांक 1.5.2018 को पत्रावली पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलाण्ट व विपक्षी संख्या 2 व 7 उपस्थित थे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुना गया । अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत बहस सुनकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की । अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का नक्शा ट्रेश प्रस्तुत नहीं किया । अपीलार्थीगण यह भी साबित नहीं कर पाये कि अपीलार्थीगण के पूर्वजों को वक्त आवंटन कौनसी भूमि पर कब्जा सुपुर्द किया गया था। अपीलार्थीगण का प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनता है। अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने आराजी नम्बर 831/1क, व 833/1 ख का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण द्वारा हाल आराजी नम्बर 1517, 1518 एवं 1519 का कोई मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे यह साबित नहीं होता है कि आराजी नम्बर 835/1 मीन से कौनसे नम्बर बने हैं। इसके विपरीत प्रत्यर्थीगण द्वारा जमाबंदी संवत 2031 से 2032 प्रस्तुत की है एवं आराजी नम्बर 835/1 का तरमीमशुदा नक्शा भी प्रस्तुत किया है। अपीलार्थीगण को आवंटित आराजी राजस्व नक्शे में तरमीम ही नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थीगण के हक अधिकार प्रभावित नहीं हो सकते हैं। भू प्रबन्ध की कार्यवाही को 90 वर्ष हो गये हैं। यदि हाल आराजी नम्बर 1517, 1518 एवं 1519 की अपीलार्थीगण मांग करते हैं तो फिर प्रत्यर्थीगण के हक अधिकार के खाता नम्बर प्रत्यर्थीगण को बताना चाहिये था जो उनके द्वारा नहीं बताये गये हैं।

18. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि सी आर पी सी के तहत पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही से राजस्व न्यायालय बाध्य नहीं है।

19. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि आदेश 26 नियम 9 सी पी सी के प्रावधान अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद में लागू होगे। अपील में उक्त प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसलिए मौका कमिश्नर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण डी एन जे 2014 (4) राजस्थान पेज 1632 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपील अपीलार्थीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया।

20. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय की सीमा तक सुनी एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण के पक्ष में अपीलाधीन आदेश से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई है। जिसकी अपील अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रस्तुत की गई है। न्यायालय हाजा द्वारा अपीलार्थीगण के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है।

21. अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत कर मात्र अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया था। जो पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिया जा चुका है। अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण को तामील होकर प्रकरण उनकी जानकारी में है।

22. प्रकरण में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 के प्रावधानों के तहत निर्णयन हेतु प्रार्थीगण/अपीलाण्ट व विपक्षीगण संख्या 2 व 7 को सुना है परन्त अपील में सभी रेस्पोडेण्ट्स को तामील होकर उभयपक्ष उपस्थित हैं। अतः तामील पूर्ण हो जाने से प्रकरण अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का न होकर धारा 212 के पूर्ण विवेचन उपरान्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत सभी आवश्यक बिन्दुओं को समाहित कर निर्णयन का बनता है। पूर्व में विद्वान पीठासीन अधिकारी, राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 11.7.2018 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है, जिसे अन्तरिम आदेश मानते हुए हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं समझते हैं।

23. न्यायालय के समक्ष दो स्थितियॉ हैं कि अपील मीमो में चाहे गये अनुतोष की हद तक निर्णय करे अथवा उभयपक्षकारान की बहस के आधार पर धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत विस्तृत विवेचन उपरान्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत निर्णय पारित करे। विस्तृत विवेचन उपरान्त न्यायहित में न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण को रिमाण्ड कर आगामी तारीख पेशी पर उभयपक्ष को सुनकर अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

का निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित समझते है।

24. अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आगामी तारीख पेशी तक उभयपक्ष को सुनकर अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जावे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.5.2019 को उपस्थित रहें।

25. निर्णय आज दिनांक 8.5.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

8/5/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा